(2007) 11 एस.सी.आर. 428

स्वप्न कुमार पाल

बनाम

अचिंत्य कुमार नायक एवं अन्य

12 अक्टूबर, 2007

(एस. बी. सिन्हा और हरजीत सिंह बेदी, न्यायाधिपतिगण)

भारत का संविधान, 1950: अनुच्छेद 226- संशोधित राशनिंग डीलरशिप- प्रथम प्रत्यर्थी के नाम अनुदान के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित किया गया और डीलरशिप अनुदान स्वीकृत किया गया- अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप- अभिनिर्धारित: सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंधित मानदंडों को पूरा करने के कारण उसे नहीं बुलाया गया।

प्रशासनिक विधिः निर्णय लेने की प्रक्रिया-हस्तक्षेप-चर्चा का दायरा।

एम.आर. डीलरशिप प्रदान करने के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित की गई, जिसमें अपीलकर्ता और प्रथम प्रत्यर्थी दोनों ने अपने-अपने आवेदन दाखिल किए। सक्षम प्राधिकारी ने प्रथम प्रत्यर्थी के नाम की अनुशंसा की। इसके अनुसरण में, कलेक्टर ने उन्हें एम.आर. डीलरशिप प्रदान की।

अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की। एकल न्यायाधीश द्वारा इसकी अनुमति दी गई। प्रथम प्रत्यर्थी ने इससे पहले उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष सफलतापूर्वक अपील की।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि खण्डपीठ ने एकल पीठ के फैसले को उलटने में एक स्पष्ट त्रुटि की है, क्योंकि इसमें अप्रासंगिक कारकों, अर्थात् उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता, को ध्यान में रखा गया था; और यह कि प्रथम प्रत्यर्थी के पास आवेदन दाखिल करने की तिथि पर कोई गोदाम नहीं था, जो डीलरशिप प्रदान करने के लिए निर्धारक कारक था और अपीलकर्ता ने उक्त मानदंडों को पूरा किया था और इसलिए वह इसका हकदार था।

न्यायालय द्वारा अपील खारिज कर दी गई और यह माना किः-

1. पश्चिम बंगाल राज्य में एम. आर. डीलरशिप का अनुदान जो किसी कानून या वैधानिक नियमों द्वारा शासित नहीं है। उपयुक्त प्राधिकरण, हालांकि, 21.11.2000 पर या उसके बारे में एक अधिसूचना जारी की है। अनुप्रयोग-अपीलार्थी के पास एक गोदाम है, जिसमें वह रह रहा था। उसकी वित्तीय शोधन क्षमता 50,000/- रुपये और व्यापार दक्षता व व्यवसाय चलाने का अनुभव लगभग पांच वर्षों का है। हालाँकि, प्रथम प्रत्यर्थी ने अपने आवेदन में कहा था कि उसका एक गोदाम पर कब्ज़ा था जो उसके चाचा ने उसे दान में दिया था। [पैरा 9][432-डी, ई]

2. खाद्य और आपूर्ति के उप मंडल नियंत्रक, लेने पर एम. आर. डीलरशिप के अनुदान के लिए प्रासंगिक मानदंडों पर विचार करने के बाद, प्रथम प्रत्यर्थी के पक्ष में सिफारिशें कीं। इसकी एक जांच भी की गयी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा मौका मुआयना किया गया। संबंधित उम्मीदवारों की योग्यताओं और अनुभवों को ध्यान में रखा गया और पहले प्रतिवादी की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी द्वारा 26.2.2001 या उसके आसपास की गई। [पैरा 10] [432-एफ, जी]

3.1. एम. आर. डीलरशिप प्रदान करने के लिए जो मानदंड प्रासंगिक थे: वे वित्तीय शोधनक्षमता, गोदाम का कब्ज़ा और व्यापार दक्षता थे। यह सच हो सकता है कि उम्मीदवारों को किसी विशेष शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं थी, व्यावहारिक ज्ञान पर्याप्त था। हालाँकि, प्रथम प्रत्यर्थी के जवाबी हलफनामे से ऐसा प्रतीत होता है कि विचाराधीन योजना शिक्षित बेरोजगार लोगों के लिए थी। इसलिए, जहां तक उम्मीदवारों का संबंध है, सक्षम प्राधिकारी को प्रासंगिक मानदंडों के आवेदन पर पक्षकारान के संबंधित मामलों पर विचार करना था। [पैरा 13 और 14] [434-बी, सी, डी]

3.2. इस न्यायालय के समक्ष क्षेत्र में लागू कोई वैधानिक आदेश या कोई अधिसूचना प्रस्तुत नहीं की गई। हालाँकि, इसके लिए प्रासंगिक मानदंड पक्षकारान द्वारा दायर किए गए आवेदनों के फॉर्म से पता लगाया जा सकता है। दुकान की जगहों, गोदाम की क्षमता और उसके कब्जे के

लिए एक वैध दस्तावेज व्यापार दक्षता और उस अवधि के अलावा कुछ प्रासंगिक मानदंड थे, जिसके दौरान आवेदक व्यवसाय में था, गोदाम का स्वामित्व एक आवश्यक शर्त नहीं थी, लेकिन उस पर कब्ज़ा था। [पैरा 15 और 16] [434-ई, एफ]

4.1. इसलिए, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने गोदाम के स्वामित्व, जो कि अधिक प्रासंगिक नहीं था, का एक गलत प्रश्न प्रस्तुत करके खुद को गलत दिशा में निर्देशित किया। [पैरा 17] (1434-एफ,जी)

4.2. उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने संबंधित शैक्षिक योग्यताओं या और किसी तथ्य पर विचार करने में गलती की होगी और बाद की घटना, अर्थात् पहले प्रत्यर्थी के चाचा द्वारा उसके पक्ष में उपहार के विलेख के निष्पादन पर विचार करने में भी गलती की होगी, लेकिन अगर इन्हें विचार से बाहर भी रखा जाए तो भी पक्षकारों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। यदि दुकान के स्थान, गोदाम के कब्जे और व्यापार दक्षता के साथ-साथ उस अवधि के दौरान जब उम्मीदवार व्यवसाय में थे, को ध्यान में रखते हुए पहले प्रत्यर्थी के पक्ष में कोई सिफारिश की गई है तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि सक्षम प्राधिकारी ऐसा कर सकता है। उक्त मानदंडों के आधार पर या पहले प्रत्यर्थी के पक्ष में एम.आर. डीलरशिप प्रदान करें। [18 के लिए] [434-जी, 435-ए, बी]

5. इस प्रकृति के मामले में, आमतौर पर, उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं

करेगा। न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने के लिए न्यायालय की सीमित भूमिका होती है। यह केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई कानूनी त्रुटि हुई हो। यह निर्णय की योग्यता में शामिल नहीं हो सका। [पैरा 19] [435-सी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4865/2007

कलकत्ता में उच्च न्यायालय के दिनांक 29.11.2006 के निर्णय और अंतिम आदेश से एफ.एम.ए. 2004 की संख्या 787/2004

अपीलकर्ता की ओर से - एस.बी. सान्याल, राणा मुखर्जी, डी. भरत कुमार, चंद्र भूषण प्रसाद, इंद्राणी और अभिजीत सेनगुप्ता।

प्रत्यर्थी की ओर से - रंजीत कुमार जयसवाल, प्रदीप मुखर्जी, सरला चंद्रा, टी.सी. शर्मा, नीलम शर्मा और राजीव शर्मा।

न्यायालय का निर्णय-एस. बी. सिन्हा, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. यहाँ पार्टियां संशोधित अनुदान के दावेदार थीं। राशनिंग (एम.आर.) दुकान ससंगा गांव में स्थित एमआर की दुकान अब्दुल सलीम को दी गई थी, जिसे एम.आर. डीलर के रूप में नियुक्त किया गया था। इस संबंध में जांच करने पर पाया गया कि केरोसिन वितरण के संबंध में उन्होंने कुछ अनियमितताएं बरती हैं, जिस पर उसका लाइसेंस निलंबित

कर दिया गया। उन्होंने इसके विरुद्ध अपील को प्राथमिकता दी। अपीलीय प्राधिकारी ने हालांकि, केरोसिन के लिए लाइसेंस के निलंबन की पुष्टि करते हुए चावल, गेहूं, चीनी आदि जैसी अन्य वस्तुओं के संबंध में डीलरशिप बहाल करने का निर्देश दिया।

3. सलीम ने एक रिट याचिका दायर की, जो अंततः एक खण्डपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस बीच ससंगा गांव में एम.आर. डीलरशिप यहां के पहले प्रत्यर्थी को दे दी गई थी, खण्डपीठ ने सलीम को अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दायर अपील में उसे एक पक्ष बनाने की स्वतंत्रता दी।

4. उक्त कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, ससंगा गांव में एम.आर. डीलरों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए एक नियमित चयन आयोजित किया गया, जिसमें तीन दावेदार थे, उनमें से एक सुश्री सरमा मंडल ने बीच में ही मैदान छोड़ दिया। बाकी दोनों के बीच, अचिंत्य को ससंगा की एम.आर. डीलरशिप देने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सिफारिशें की गईं। उक्त अनुशंसाओं के अनुसरण में, कलेक्टर (जिला नियंत्रक) ने दिनांक 15.2.2002 के एक आदेश द्वारा प्रथम प्रत्यर्थी को एम.आर. डीलरशिप प्रदान की।

5. यहां अपीलकर्ता द्वारा दायर एक रिट याचिका को उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी गई थी। हालाँकि, पहले प्रतिवादी द्वारा एक अंतर-न्यायालय अपील दायर किए जाने पर, न्यायालय

की एक खंडपीठ ने दिनांक 9.11.2006 के आक्षेपित निर्णय के आधार पर इसकी अनुमति दे दी।

6. इस प्रकार, अपीलकर्ता हमारे समक्ष आया।

7. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस.बी. सान्याल ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तुत किया कि खण्डपीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को उलटने में एक स्पष्ट त्रुटि की है, क्योंकि इसमें अप्रासंगिक कारकों, अर्थात् उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता पर विचार किया गया था। यह आग्रह किया गया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस तथ्य पर विचार किया कि प्रतिवादी के पास आवेदन दाखिल करने की तिथि पर कोई गोदाम नहीं था, जो डीलरशिप प्रदान करने के लिए निर्धारक कारक था और अपीलकर्ता ने उक्त मानदंडों को पूरा किया था और इसके हकदार हैं।

8. दूसरी ओर, प्रथम प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री जायसवाल ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए आग्रह किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश, इस प्रकृति के मामले में, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते थे।

9. पश्चिम बंगाल राज्य में एम.आर. डीलरशिप का अनुदान किसी क़ानून या वैधानिक नियमों द्वारा शासित नहीं होता है। हालाँकि, उपयुक्त प्राधिकारी ने 21.11.2000 को एक अधिसूचना जारी की, जिसके अनुसार,

अपीलकर्ताओं और पहले प्रत्यर्थी दोनों ने अपने आवेदन दायर किए। जहां तक अपीलकर्ता का प्रश्न है, कहा जाता है कि उसके पास एक गोदाम है, जिस पर उसका कब्जा है। उनकी वित्तीय शोधन क्षमता 50,000/- रुपये बताई गई और व्यापार दक्षता व लगभग पांच वर्षों तक व्यवसाय चलाने का अनुभव बताया गया था। हालाँकि, पहले प्रत्यर्थी ने अपने आवेदन में कहा था कि उसका एक गोदाम पर कब्ज़ा था, जो उसके चाचा ने उसे दान में दिया था।

10. खाद्य और आपूर्ति के उप-विभागीय नियंत्रक ने एम.आर. डीलरशिप के अनुदान के लिए प्रासंगिक मानदंडों पर विचार करने के बाद, पहले प्रत्यर्थी के पक्ष में सिफारिशें कीं। इसकी जांच भी की गयी. सक्षम प्राधिकारी द्वारा मौका मुआयना किया गया। सम्भावित उम्मीदवारों की योग्यताओं और अनुभवों को ध्यान में रखा गया और पहले प्रत्यर्थी की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 26.2.2001 या उसके आसपास की गई। इसके बाद जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक ने दिनांक 15.2.2002 को अनुदान पर एक आदेश पारित किया गया, जिसमें कहा गयाः

> "महामहिम न्यायमूर्ति के निर्देश का सम्मान करते हुए माननीय न्यायमूर्ति श्री असीम कुमार बनर्जी कोलकाता उच्च न्यायालय ने WP No.18364 (W)/2001 के संबंध में श्री स्वपन कुमार पाल रिट याचिकाकर्ता और श्री अचिंत्य कुमार नायक की व्यक्तिगत सुनवाई की। दिनांक 4.2.02 को

दोपहर 12 बजे मेरे कार्यालय के निजी कक्ष में प्रत्यर्थी क्रमांक 7 श्री स्वपन कुमार पाल का प्रतिनिधित्व उनके विद्वान वकील ने किया, जबकि श्री अचिंत कुमार नायक ने व्यक्तिगत रूप से प्रतिनिधित्व किया। दोनों पक्षों को विस्तृत रूप से सुना गया और उन्हें अपनी वित्तीय साख के प्रतिद्वंद्वी के दावों के समर्थन में अपने सभी वित्तीय साख संबंधी कागजात और दस्तावेजों का खुलासा करने की अनुमति दी गई। एम.आर. डीलर की नियुक्ति करते समय, एम.एफ. कमोडिटीज के भंडारण स्थान की उपयुक्तता, मजबूत वित्तीय क्षमता अनुभव और व्यावहारिक व शैक्षिक योग्यता के मुख्य पहलू को आम तौर पर ध्यान में रखा जाता है। उपरोक्त प्रकाश में दोनों उम्मीदवारों की जांच की गई और मैंने पाया कि श्री अचिंत्य कुमार नायक ने उपरोक्त मानदंडों को पूरा किया है और मुझे श्री ए.के. नायक की बढ़त को दूसरे पर नकारने का कोई आधार नहीं मिला।

उप-विभागीय नियंत्रक, खाद्य एवं आपूर्ति, बर्दवान समान सीमा के मामले में एम.आर. डीलर के सहायक (नियुक्ति के लिए) प्राधिकारी होने के नाते तदनुसार आगे बढ़ेंगे और सरकार द्वारा एम.आर. रिक्ति की मंजूरी प्राप्त करना भी सुनिश्चित करेंगे, जो इस मामले में अपर्याप्त है।"

11. यहां अपीलकर्ता द्वारा दायर एक रिट याचिका पर, विद्वान एकल न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पहले प्रत्यर्थी के पास गोदाम के संबंध में स्वामित्व या किरायेदारी के रूप में कोई वैध शीर्षक नहीं था और कलेक्टर के उक्त आदेश को खारिज नहीं किया जा सकता था, एेसा निर्देशित किया गया।

"इस प्रकार, यह पता लगाएं कि याचिकाकर्ता एकमात्र अन्य व्यक्ति है, जिसके पास सभी अपेक्षित योग्यताएं हैं, जिस पर आशिम कुमार बनर्जी न्यायाधिपति के आदेश के अनुसार दूसरे के मामले पर विचार किया जा सकता है, जो पार्टियों पर बाध्यकारी है।

इसलिए, आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाए और राज्य-प्रत्यर्थी को निजी प्रत्यर्थी विषय के स्थान पर याचिकाकर्ता को नियुक्त करने का निर्देश दिया जाए, हालांकि, रिक्ति की मंजूरी के लिए जैसा कि आक्षेपित आदेश में दर्शाया गया है, "इस आदेश के संचार की तारीख से पखवाड़े की अवधि के भीतर" औपचारिक आदेश पारित किया जाना चाहिए।

12. जैसा कि यहां पहले देखा गया, उक्त उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उक्त निर्णय को पलट दिया।

13. वे मानदंड जो एम.आर. डीलरशिप प्रदान करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ, प्रासंगिक थे:

1. वित्तीय शोधन क्षमता

2. गोदाम पर कब्ज़ा

3. व्यापार दक्षता.

14. यह सच हो सकता है कि उम्मीदवारों को किसी विशेष शिक्षित योग्यता की आवश्यकता नहीं थी, व्यावहारिक ज्ञान पर्याप्त था। हालाँकि, पहले प्रत्यर्थी के जवाबी हलफनामे से ऐसा प्रतीत होता है कि विचाराधीन योजना 'शिक्षित बेरोजगार लोगों' के लिए थी, इसलिए सक्षम प्राधिकारी को अब तक प्रासंगिक मानदंडों के आवेदन पर पार्टियों के संबंधित मामलों पर विचार करना था। जैसा कि उम्मीदवारों का संबंध है।

15. हमारे सामने कोई वैधानिक आदेश या क्षेत्र में लागू कोई अधिसूचना प्रस्तुत नहीं की गई। हालाँकि, इसके लिए प्रासंगिक मानदंड, पक्षकारों द्वारा दायर किए गए आवेदनों के फॉर्म से पता लगाया जा सकता है।

16. ऐसा प्रतीत होता है कि दुकान की साइट और गोदाम की क्षमता और उसके कब्जे के लिए एक वैध दस्तावेज, व्यापार दक्षता और उस अवधि के अलावा कुछ प्रासंगिक मानदंड थे, जिसके दौरान आवेदक व्यवसाय में था। गोदाम का स्वामित्व एक आवश्यक शर्त नहीं थी, लेकिन उस पर कब्ज़ा था।

17. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने, इसलिए, हमारी राय में, गलत प्रश्न प्रस्तुत करके स्वयं को गलत दिशा में निर्देशित किया।

उन्होंने एक कारक, अर्थात् गोदाम का स्वामित्व, पर विचार किया था जो अधिक प्रासंगिक नहीं था।

18. उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने संबंधित शैक्षणिक योग्यता पर विचार करने में त्रुटि की होगी। याचिकाकर्ता और प्रथम प्रत्यर्थी को एक बाद की घटना, अर्थात् उसके चाचा द्वारा पहले प्रतिवादी के पक्ष में उपहार के विलेख का निष्पादन पर विचार करने में गलती की हो, लेकिन उन्हें भी विचार से बाहर नहीं रखा जाएगा। पक्षकारान की स्थिति में कोई बदलाव हो, यदि दुकान की साइटों, गोदाम के कब्जे और व्यापार दक्षता के साथ-साथ उस अवधि को ध्यान में रखते हुए पहले प्रत्यर्थी के पक्ष में कोई सिफारिश की गई है। उम्मीदवार व्यवसाय में थे, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि सक्षम प्राधिकारी उक्त मानदंडों के आधार पर या उसके आधार पर पहले प्रत्यर्थी के पक्ष में एम.आर. डीलरशिप प्रदान कर सकता है।

19. इस प्रकृति के मामले में, आमतौर पर, उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने के लिए, न्यायालय की सीमित भूमिका होती है। यह केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई कानूनी त्रुटि हुई हो। यह निर्णय की योग्यता में शामिल नहीं हो सका।

20. इसलिए, हमारी राय है कि आक्षेपित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि या दुर्बलता नहीं है, अत: यह अपील खारिज की जाती है। हालाँकि,

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कोर्ट फीस लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मोहन लाल सोनी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।